POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 26.06.2025

1.थाना दादरी पुलिस द्वारा मोबाईल फोन स्नैचर/मारपीट की घटना में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध शस्त्र, 03 मोबाईल फोन (छिने हुए) व मारपीट की घटना में प्रयुक्त 02 डण्डे बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 26.06.2025 को थाना दादरी पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तगण 01. हिमांशु पुत्र विजयपाल सिंह 02. शुभम पुत्र बबलू 03. लक्ष्य पुत्र करण सिंह को शाहपुर पुलिया पेरीफेरल के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 02 चाकू, 03 मोबाईल फोन (छिने हुए) व मारपीट की घटना में प्रयुक्त 02 डण्डे बरामद हुए है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 21.06.2025 को दो लड़को के साथ इन्ही डन्डो से मारपीट की थी। दिनांक 21.06.2025 की घटना के संबंध में थाना दादरी पर मु0अ0सं0 311/25 धारा 115(2),351(2),309(6) बीएनएस पंजीकृत हैं। अभियुक्तों से जो मोबाईल फोन बरामद हुए है ये अलग अगल जगहो पर लोगो से छीने है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. हिमांशु पुत्र विजयपाल सिंह निवासी ग्राम दुजाना थाना बादलपुर जिला गौतमबुद्धनगर उम्र 21 वर्ष
2. शुभम पुत्र बबलू निवासी ग्राम घाट पांचली थाना परतापुर जिला मेरठ उम्र 23 वर्ष
3. लक्ष्य पुत्र करण सिंह निवासी ग्राम चिटहेरा थाना दादरी जिला गौतम बुध नगर उम्र 20 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 321/2025 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस व 3/4/25 आयुध अधिनियम थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 311/2025 धारा 115(2),351(2),309(6) बीएनएस थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 01 तमंचा .315 बोर
2. 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर,
3. 02 चाकू,
4. 02 डण्डे मारपीट की घटना मे प्रयुक्त
5. 01 मोबाईल फोन ओप्पो कंपनी रंग गोल्डन आईएमईआई नं0 868237061807037, 868237061807029 (छिना हुआ)
6. 01 मोबाईल फोन वीवो कंपनी टच स्क्रीन रंग पर्पल आईएमईआई नं0-863663059571217, 863663059571209 (छिना हुआ)
7. 01 आईफोन रंग क्रीम टच स्क्रीन आईएमईआई न0ः 354842098631606, 35484209863160 (छिना हुआ)

2.थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा, मेट्रोमोनियल साइट/सोशल मीडिया के माध्यम से सम्पर्क कर शादी का झांसा देकर वादिया से लगभग 64 लाख रूपये की ठगी करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- थाना सेक्टर-58 पर वादिया द्वारा तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया कि अभियुक्त नेहुल सुराना के द्वारा मेट्रोमोनियल साइट/सोशल मीडिया के माध्यम से सम्पर्क कर शादी का झांसा देकर वादिया के साथ लिव-इन-रिलेशनशिप में रहकर शारीरिक सम्बन्ध बनाये गये तथा वादिया द्वारा शादी करने के लिए कहने पर शादी से मना कर दिया गया एवं वादिया से लगभग 64 लाख रूपये लेकर गायब हो गया। वादिया द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना सेक्टर-58, नोएडा पर मु0अ0सं0-202/2025 धारा 69, 318(2), 351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 26.06.2025 को थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व गोपनीय सूचना की सहायता से उपरोक्त मुकदमा में वांछित अभियुक्त नेहुल सुराना पुत्र दलीप सुराना को सेक्टर-56, नोएडा के पास से **गिरफ्तार** किया गया है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त नेहुल राना ने पूछताछ पर बताया कि वह मेट्रोमोनियल साइट व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रोफाईल बनाकर स्वयं को अनमैरिड या तालाकशुदा बताकर लड़कियो से दोस्ती कर लेता है तथा अपने आपको विभिन्न सरकारी एजेन्सी का एक्स कर्मचारी बताकर शादी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाकर अपनी तथा अपने परिवार की आर्थिक समस्याओं को बताकर व अच्छे भविष्य के सपने दिखाकर प्रोपर्टी, कीमती वाहन खरीदने को बताकर पीड़िता के बैंक में जमा धनराशि को अपने खाते में ले लेता है। प्राप्त धनराशि को अभियुक्त मौज मस्ती व लग्जरी शौक पूरे करने में खर्च करता है व क्रिप्टो करेंसी/यू0एस0डी0टी0 में उक्त पैसा निवेश करता है।

पूछताछ के दौरान निम्न तथ्य प्रकाश में कि--

1. अभियुक्त, पीड़िता से माह अगस्त 2024 में जीवनसाथी.कॉम के माध्यम से सम्पर्क में आया, जिसमें अभियुक्त द्वारा अगस्त 2024 से मार्च 2025 तक पीड़िता के आईसीआईसीआई बैक से अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 50,30,936 रूपये ट्रांसफर किये।

2. अभियुक्त द्वारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंश्योरेन्स से करीब 13,32,907 रूपये, सैलरी सेविंग से करीब 5,40,000 रूपये, हाउस टोकन मनी के 4,30,000 रूपये व 27,28,029 रूपये विभिन्न प्लेफार्म से पर्सनल लोन लेकर पहले पीड़िता के आईसीआईआईसी बैंक के खाते में ट्रांसफर किये गये तथा उसके बाद अपने खातो में ट्रांसफर किये गये है।

3. कोटक बैंक से 6,39,820 रूपये ट्रांसफर किये गये है।
4. म्यूचअल फंड एसआईपी से 8,00,000 रूपये ट्रांसफर किये है।
5. इस तरह अभियुक्त द्वारा पीड़िता को विश्वास में लेकर उसका मोबाइल इस्तेमाल कर कुल 64,70,756 रूपये ट्रांसफर किये गये तथा उसके फोन पर मैसेज व कॉल को ब्लॉक किया गया जिससे पीड़िता को पता न चल पाये।
6. यह फ्रॉड कर अभियुकत 16 मार्च 2025 से पीड़िता को बिना बताये अचानक गायब हो गया था।
7. अभियुक्त द्वारा प्राप्त धन में से लगभग 32 लाख 70 हजार रूपये क्रिप्टो करेंसी/यू0एस0डी0टी0 व अन्य डिजीटल करेंसी व शेयर मार्केट में निवेश किये गये जिनकी जानकारी हेतु साईबर सेल के माध्यम पत्राचार किया गया है।
8. अभियुक्त द्वारा 3,74,920 रूपये एटीएम से निकालकर खर्च किये गये है।
9. अभियुक्त द्वारा लगभग 28,25836 रूपये यूपीआई के माध्यम से गोवा व कर्नाटक व देश के अन्य स्थानो पर घूमने, क्लब में जाने व अन्य चीजो पर खर्च किये गये है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. नेहुल सुराना पुत्र दलीप सुराना निवासी एस0एफ0एस0 फ्लैट्स, थाना जवाहर नगर, जिला जयपुर, राजस्थान उम्र 32 वर्ष शिक्षा- बी0कॉम।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0-202/2025 धारा 69, 318(2), 351(2) बीएनएस थाना सै0-58, नोएडा।

बरामदगी का विवरण--

1. 02 मोबाइल फोन
2. 04 सिम कार्ड
3. 07 एटीएम कार्ड
4. आधार कार्ड, पेन कार्ड, डी0एल0
5. 03 गेम कार्ड विभिन्न कम्पनी के

3.थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा 01 शातिर अपराधी गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 26-06-2025 को थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा अभिसूचना संकलन के आधार पर कार्यवाही करते हुए हॉस्पिटल के साथ 09 करोड़ रूपये की धोखाधडी करने वाले गैंग का 01 शातिर अपराधी सागर चौहन को नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- वादी मुकदमा द्वारा उनके हॉस्पीटल में कैशलेश व्यवस्था के अन्तर्गत मेडिकल बिल के पेमेंट में हुयी 09 करोड की धोखाधडी होने के संबंध में मु0अ0सं0 61/2025 धारा 316(4)/318(4)/336(3)/340(2)/338/61(2) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत कराया गया था जिसकी विवेचना में साक्ष्य के आधार पर थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा घटना को कारित करने वाले हॉस्पिटल के पूर्व रिकवरी अधिकारी व उसके 01 अन्य साथी को दिनांक 25-06-2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ में अभियुक्त सागर चौहान द्वारा बताया गया कि उसके नाम से बैंक खाता खुलवाकर हॉस्पिटल के साथ हुयी धोखाधडी की 1,94,13,094 रूपये की धनराशि ट्रान्सफर की गयी थी, जिसके लिये अभियुक्त सागर को 10 हजार रूपये मासिक प्राप्त होते थे। उक्त बैंक खाते के ट्रान्जेक्शन विवरण से पाया गया कि विगत 02 वर्षाें में उपरोक्त बैंक खाते में करीब 182 करोड़ रूपये का लेनदेन हुआ है, जिसके सम्बन्ध मे छानबीन की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. सागर चौहन निवासी घंटाघर सब्जीमंडी, दिल्ली।

नोट- साइबर जागरूकता सुझाव बिन्दु-:-

2. साइबर से संबंधित किसी समस्या के लिये साइबर क्राइम हेल्पलाइन नम्बर- 1930 अथवा साइबर क्राइम की वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें।
3. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड व आधार कार्ड अपडेट करने के लिए बैंक द्वारा कोई लिंक नहीं भेजा जाता है।

4. यदि संभव हो तो सदैव भारत सरकार के द्वारा अधिकृत तथा सेबी द्वारा निगरानी की जाने वाली शेयर मार्केट में ही निवेश करें।
5. यू ट्यूब, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप लाइक कर धन कमाने या टास्क पूरा करने के नाम पर धन कमाने का ऑफ़र देने वाली फर्जी कॉल से बचें। धोखेबाज के बहकावे में आकर पैसा ट्रांसफर न करें।